

मध्यप्रदेश विधान सभा

जून-अगस्त, 1990 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 1 अगस्त, 1990 (श्रावण 10, 1912)

समय 10.30 बजे दिन

1. शपथ

संविधान के अनुच्छेद 333 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट ग्रांगल भारतीय समुदाय की श्रीमती ई. लैमोस शपथ लेंगी, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगी और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगी.

2. प्रश्नोत्तर

पृथक्कृत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री सुन्दरलाल पटवा, मुख्य मंत्री, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ष 1990-91 का भाग 1 व 2 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री सुन्दरलाल पटवा, मुख्य मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1982-83 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री सुन्दरलाल पटवा, मुख्य मंत्री, दिनांक 29 जून, 1990 को सदन में दिये गये वक्तव्य के अनुसरण में मध्यप्रदेश मंत्रिमण्डल के शेष सदस्यों द्वारा दिये गये सम्पत्ति का विवरण पटल पर रखेंगे.

(4) श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (दिनांक 31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्ष) पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सदस्य, बिलासपुर जिले के ग्राम बांसाझाल के आदिवासियों की झोपड़ियों को तोड़े जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सूबेदार सिंह, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम बीजलीपुरा की एक महिला के साथ बलात्कार होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री कैलाश विजयवर्गीय / चन्द्रकान्त गुप्ता, सदस्य, संचालनालय नगर प्रशासन के एक अधिकारी द्वारा नियुक्तियों में अनियमिततायें किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, रायपुर जिले के ग्राम छितौना के निकट जीप-ट्रक दुर्घटना से दस लोगों की मौत होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री रामलखन शर्मा, जगदम्बाप्रसाद निगम, विश्वम्भरनाथ पाण्डेय, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम खमरा में डकैतों द्वारा हरिजन महिलाओं को जिन्दा जलाये जाने की घटना की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री ललित जैन, मनीष कुंजाम, सदस्य, इन्दौर जिले के सागर पेशा गांव में आदिवासियों की झोपड़ियां तोड़ी जाने की घटना की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री छोटेलाल उइके, सदस्य, कृषकों की कर्जाभागी नीति के अन्तर्गत वन ग्रामवासियों एवं भूमि संरक्षण के कर्जे माफ न हो पाने की ओर वन, कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री गौरीशंकर बिसेन, सदस्य, बालाघाट वन वृत्त से काटी गई लकड़ी की निकासी न होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) सर्वश्री रामनिवास रातव, सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, ग्वालियर एवं रायपुर के मिडिल छात्रों को नियमानुसार तीन विषयों में पूरक की पाठ्यता न दिये जाने की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री रामराव महाले, सदस्य, छिदवाड़ा जिले के सोंसर विधान सभा क्षेत्र के कई ग्रामों में राजस्व भूमि से अवैध उत्खनन होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) ठाकुर दरबार सिंह, सदस्य, दुर्ग शहर में लूट की वारदातों में वृद्धि होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री श्यामाचरण शुक्ल, सदस्य, बालाघाट शहर में हत्या एवं भारपीट की घटनायें होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री भगवत सिंह यादव, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम करेरा में डकैती की घटनायें होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री कमलेश्वरप्रसाद द्विवेदी, सदस्य, सीधी जिले के चितरंगी क्षेत्र में बारिश से तीन पुलिया टूटने से आवागमन अवरुद्ध होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री उदयसिंह पण्ड्या, सदस्य, उज्जैन जिले के बड़नगर में एक स्कूल चौकीदार की हत्या होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री नन्दकुमार सिंह चौहान, सदस्य, बुरहानपुर विकास खण्ड के ग्राम डोंगरगांव के सरपंच द्वारा अनियमिततायें किये जाने की ओर राज्यमंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री चन्द्रशेखर साहू, सदस्य, रायपुर जिले के सिहांवा क्षेत्र की वन भूमि का व्यवस्थापन न होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, भोपाल में कार्यालयीन भूमि का एक भाग अवैधानिक ढंग से एक निजी संस्था को बेचे जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री के.डी. देशमुख, सदस्य, बालाघाट जिले में बैहर के समीप बैन गंगा सीमेंट फ़ैक्ट्री से प्रदूषण फैलने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री रामविचार नेताम, सदस्य सरगुजा जिले के ग्राम केरता निवासी व्यक्तियों पर प्राणघातक हमला किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) डॉ. सुधन्वा सिंह नेताम, सदस्य, बालाघाट के मालाजखण्ड थाना कर्मियों द्वारा अकारण मारपीट किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

